कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2026-27 दिनांकः- 13.02.2026

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2026-27 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में एन्ट्री कक्षा- पीपी3+, पीपी4+, पीपी5+ तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2026 को जारी कर दिये हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल **www.rajpsp.nic.in** एवं विभागीय वेबसाईट **education.rajasthan.gov.in/elementary** पर उपलब्ध हैं। निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं। विस्तृत जानकारी हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है।

विद्यालयों को एन्ट्री कक्षा- पीपी3+ तथा कक्षा-1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष तक
2	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष तक
3	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष तक
4	First	6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष तक

प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :—

क्र. सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	17 फरवरी 2026 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना	20 फरवरी 2026 से 04 मार्च 2026 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना	06 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	बालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (choice filling)	06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक	अभिभावक द्वारा
6	प्रथम चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय)	13 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
7	दस्तावेज सत्यापन	13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
8	प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक	सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक
9	द्वितीय चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय)	27 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
10	दस्तावेज सत्यापन	27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
11	द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक	सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक
12	शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर)	13 अप्रैल 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
13	दस्तावेज सत्यापन	13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
14	तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक	सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक

अभिभावकों एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा समस्या समाधान हेतु सम्पर्क सूत्रः—

E-MAIL:- ddrtebknr@gmail.com / rajpsphelp@gmail.com

Help line number:- 0151-2220140 / 0141-2719073

(सीताराम जाट) IAS

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

DIPR/C/......../2026